J|

अत्यावश्यक/तत्काल

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून

2. निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः–एजुकेशन पोर्टल/1471-79/2019–20, दिनांक 31 मई 2019

विषयः–एजुकेशन पोर्टल में सत्रांत लाभ की व्यवस्था को ऑनलाईन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 848 दिनांक 20 सितम्बर 2011, संख्या 329 दिनांक 08 अप्रैल 2011 एवं 376 दिनांक 01 जून 2012 के क्रम में विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रारम्भ किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 376 दिनांक 01 जून 2012 के अनुसार अधिवर्षता आयु प्राप्त करने वाले समस्त अध्यापक/ प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्र के अन्तिम कार्य दिवस से पूर्व, सत्रांत लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है, कि जिन अध्यापक /प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु (31 मार्च 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले) सक्षम अधिकारी को आवेदन किया गया हो, वही शिक्षक एजुकेशन पोर्टल में शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु ऑनलाईन आवेदन करेंगे, जिससे प्रक्रिया के तकनीकी पहलू का परीक्षण किया जा सके। अगले शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन की जायेंगी। ऑनलाईन आवेदन हेतु दिशा–निर्देश संलग्न किये जा रहे हैं। कृपया उक्तानुसार अध्यापकों को सत्रांत लाभ की प्रक्रिया को ऑनलाईन करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–विस्तृत दिशा–निर्देश

भवदीय

(ज्योति यादव)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0/एजुकेशन पोर्टल/1471-79 /2019–20, दिनांक उक्तांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
2. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड,
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
8. उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शिक्षा) के माध्यम से।

(ज्योति यादव)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

Scanned with CamScanner